

**न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)**  
**{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }**

**व्यवहार वाद क्र. 74-ए/2017**

**संस्थापन दि. 22.06.2017**

**सी.एन.आर नं. एम.पी.50010026182017**

1. आरती पति रविन्द्र श्रीवास्तव, उम्र 65 वर्ष,
  2. सचिन वल्द रविन्द्र श्रीवास्तव, उम्र 45 वर्ष,
  3. सौरभ वल्द रविन्द्र श्रीवास्तव, उम्र 40 वर्ष,
- निवासी-सभी निवासी वार्ड नं. 9 बालाघाट  
 जिला-बालाघाट(म0प्र0)

**वादी**

**// विरुद्ध //**

शाहिद खान वल्द वहीद खान, उम्र 40 वर्ष,  
 निवासी वार्ड नं. 03, तहसील बालाघाट  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

**प्रतिवादी**

वादी द्वारा श्री योगीराज डहरवाल अधिवक्ता।  
 प्रतिवादी द्वारा श्री ए.क्यू. कुरैशी अधिवक्ता।

**// आदेश //**

**{ आज दिनांक 14.07.2017 को घोषित }**

1- इस आदेश द्वारा वादीगण/आवेदकगण की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-2 का निराकरण किया जा रहा है।

2- वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-2 संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की ग्राम बालाघाट प0ह0नं0 13/2 रा.नि.मं. बालाघाट-2 तहसील व जिला बालाघाट भूमि खसरा नं. 227/1/ख/1 रकबा 0.010, खसरा 227/4/क/1/0001 रकबा 0.123 है। प्रतिवादी की भूमि जो करीबन 15 गुणित 60 = 900 वर्गफुट भूमि वादीगण की भूमि से पश्चिम दिशा की ओर लगी हुई है प्रतिवादी उक्त भूमि पर अपना नया मकान का निर्माण कर रहा है। प्रतिवादी ने वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी के नव निर्माण के पूर्व की ओर करीबन 3 गुणित 15 = 45 वर्गफुट भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करते हुए कालम के गड्ढे खोदना प्रारंभ कर दिया। वादीगण को जब इस तथ्य का पता चला तो वादीगण दिनांक 15.06.2017 को प्रतिवादी के पास गए और प्रतिवादी से निवेदन किया कि प्रतिवादी ने मकान निर्माण के पीछे भाग पर वादीगण की भूमि 3 गुणित 15 = 45 वर्गफीट भूमि पर निर्माण करने के लिए कालम के गड्ढे खोदे हैं, उन्हें बंद कर देवे तथा जिस पर गड्ढे खोदे गए हैं, उक्त भूमि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है। प्रतिवादी, वादीगण की विनती पर वादीगण की भूमि पर निर्माण न करने का आश्वासन दिया और अपना

कार्य रोक दिया। वादीगण प्रतिवादी के आश्वासन पर आश्वास्त हो गए। प्रतिवादी काम बंद करने के पश्चात् ही अचानक ही तीन दिनों के पश्चात् पुनः वादीगण की भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, और मना करने पर मान नहीं रहा है। यदि प्रतिवादी अपने उक्त प्रयास में सफल हो गया तो वादीगण अपने उक्त 45 वर्गफीट के भू-भाग के स्वत्व व आधिपत्य से वंचित हो जावेगें एवं वादीगण को इस तरह से अपूर्णीय क्षति कारित होगी। इसके अतिरिक्त वादीगण को इस संबंध में अनेकों दिवानी एवं फौजदारी मुकदमों में उलझना पड़ेगा। जिससे मुकदमे बाजी को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध माननीय न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादी वाद के अंतिम निराकरण तक वादीगण की वादग्रस्त भूमि 45 वर्गफीट भू-भाग पर किसी भी रूप में या स्वयं या अपने सहयोगी के द्वारा वादीगण के आधिपत्य में दखल देने से निषेधित कर दिया जावे।

3— अनावेदक/प्रतिवादी ने उक्त आवेदन आई.ए.नम्बर-2 का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा खसरा नंबर 227/1ख/1 रकबा 0.010 डिसमिल एवं खसरा नंबर 227/4/क/0.001 रकबा 0.123 भूमि को विवादग्रस्त भूमि बताया गया है जबकि उक्त भूमि में कोई विवाद ही नहीं है और वादी/आवेदक के द्वारा 227/1/ख/1 रकबा 0.10 डिसमिल भूमि को वादी द्वारा वर्ष 2010 में ही किसी आशा देवी नामक महिला को विक्रय कर दी गई है तथा अन्य रकबे की भूमि को भी प्लाट बनाकर बेच दिया गया है और प्रतिवादी, अनावेदक का उक्त प्लाट जो कि 227/1क/ख/1 के सामने स्थित 15 फीट की रोड के बाद अपनी भूमि पर बना हुआ है। प्रतिवादी/अनावेदक के द्वारा अपने भवन का पूर्ण निर्माण कर छत का भी निर्माण एक माह पूर्व किया जा चुका है, अब केवल प्रतिवादी/अनावेदक को भवन में प्लास्टर करना शेष है। वादी/आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की कंडिका 5 में जो नजरी नक्शा दर्शाया गया है वह गलत दर्शाया गया है उक्त नजरी नक्शों में वादी द्वारा 15 फीट की रोड का उल्लेख नहीं किया गया है उक्त रोड बालाघाट बैहर मेन रोड से उत्तर से दक्षिण नीचे की ओर निकलती है और प्रतिवादी का उक्त प्लाट भी उक्त रोड में ही स्थित है तथा प्रतिवादी द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर अपने भवन का निर्माण करवाया गया तथा प्रतिवादी के मकान के सामने 15 फीट रोड स्थित है प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि में इस तरह कोई भी 15 बाय 3 फीट पर निर्माण नहीं कराया गया। वादी द्वारा अपने प्रकरण के पक्ष समर्थन में जो खसरा प्रस्तुत किया गया है उक्त खसरे में वादी के अतिरिक्त अन्य लोगों के नाम भी उल्लिखित है फलस्वरूप पक्षकारों के अभाव में उपरोक्त वाद चलने योग्य नहीं है एवं वादी/आवेदक द्वारा अपने वाद में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त दोनों विभिन्न खसरों की भूमि के किस हिस्से में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अतः भी वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4— विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में है ?
- 3— क्या वादीगण/आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है ?

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक—1, 2 व 3 का निष्कर्ष :—

5— सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादीगण ने यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 227/1/ख/1, रकबा 0.010 डिसमिल तथा 227/4/क/1/0001 रकबा 0.123 डिसमिल भूमि ग्राम बालाघाट प.ह.नं. 13/2 में स्थित है। प्रतिवादी की भूमि 15 गुणित 60 लगभग 900 वर्गफीट वादीगण की भूमि से पश्चिम दिशा की ओर लगी हुई है, जहां प्रतिवादी मकान का निर्माण कर रहा है, प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर 3 गुणित 15 = 45 वर्गफीट भूमि पर मकान निर्माण करने का प्रयास कर गढ़वे खोदना प्रारंभ किया, जब वादी ने मना किया तो वह मान गया, लेकिन पश्चात् में फिर वह अतिक्रमण करने हेतु प्रयासरत है। वादी ने प्रकरण के निराकरण तक प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही है। जबकि प्रतिवादीगण ने वाद के समस्त अभिवचनों को स्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि वादी ने अपनी 227/1/ख/1 रकबा 0.10. डिसमिल भूमि वर्ष 2010 में आशादेवी नामक महिला को विक्रय कर दी है और प्रतिवादी की जो भूमि है, उस प्लॉट के सामने 227/1/क/ख/1 के सामने 15 फीट की रोड के बाद भूमि पर उसका मकान बना है, जिसका निर्माण कार्य हो चुका है। केवल प्लास्टर करना शेष है। प्रतिवादी ने वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में 15 फीट रोड का उल्लेख नहीं करने का कथन किया है और वादी की भूमि और स्वयं के प्लॉट के बीच में 15 फीट रोड होना बताया है और वादी के द्वारा अपनी भूमि का सही ज्ञान न होने के आधार पर वादी का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

6— वादीगण ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में चालू वित्तवर्ष का खसरा प्रस्तुत किया है। जिसमें वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज होने का उल्लेख है, तथा खसरा के आधार पर वादीगण का नामांतरण खसरा नं. 227/1/ख/1 का नामांतरण वर्ष 2010 और दूसरी भूमि का नामांतरण 2017 में होने का उल्लेख है, उक्त भूमि वादीगण के स्वामित्व की होना तो दर्शित होती है, किंतु उक्त भूमि की चतुर्सीमा के संबंध में वादी की ओर से भी कोई भी दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, मात्र नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिसे कि वादी के द्वारा ही बनाया जाकर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण दिखाया गया है। प्रतिवादी की ओर से फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य द्वार के समक्ष खुली भूमि होना दर्शित हो रहा है और एक फोटोग्राफ्स में ऐसा दर्शित होता है कि वह कालोनी में आने जाने की सड़क है, किंतु वादी के द्वारा अपने तर्क में उसे सड़क न बताते हुए उसे स्वयं की भूमि होना बताया है, जबकि प्रतिवादी के मकान का मुख्य द्वार उक्त सड़क के समक्ष होना दर्शित हो रहा है।

7. यदि उक्त सड़क वाली भूमि वादी के स्वामित्व की है तो प्रतिवादी को उक्त दिशा में मकान का मुख्य द्वार का निर्माण करने का अधिकार नहीं था, किंतु इस संबंध में वादीगण की ओर से कोई आपत्ति पूर्व में नहीं ली गई है। प्रतिवादी के मकान का निर्माण कार्य पूर्ण होना दर्शित हो रहा है तथा वादीगण जिस रास्ते की भूमि को स्वयं की होना बता रहे हैं, और वादीगण ने स्वयं की भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण के प्रयास किये जाने का कथन किया है, इस संबंध में वादीगण की ओर से एक मात्र ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें ऐसा दर्शित होता हो कि वादीगण की किसी भी चतुर्सीमा से लगी हुई प्रतिवादी की भूमि है। अतः दस्तावेजी

साक्ष्य के अभाव में प्रथमदृष्टया मामला वादी के पक्ष में दर्शित नहीं होता है। अतः प्रथमदृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में न होने से सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में दिखाई नहीं देता है। प्रथमदृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में न होने से निश्चित रूप से उसे कोई अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना दर्शित नहीं होती है।

8— अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ वादी/आवेदक के पक्ष में न होने से वादी/आवेदक का उक्त आवेदन आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई.ए.नंबर-2 का विधिसंगत नहीं होने से **निरस्त** किया जाता है।

9— इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही/—

(अपर्णा आर.शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बालाघाट (म.प्र.)

सही/—

(अपर्णा आर. शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बालाघाट (म.प्र.)